रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 15] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 5, 1976/पौष 15, 1897
No. 15] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 5, 1976/PAUSA 15, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF LABOUR

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th January 1976

S.O. 21(E).—Whereas an accident occurred in the Chasnala Colliery (District Dhanbad in the State of Bihar) on the 27th December, 1975 causing loss of lives;

And whereas in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 24 of the Mines Act, 1952 (35 of 1952), the Central Government has, by the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, No. N.11015/9/75-MI dated the 31st December, 1975, appointed Justice Ujjal Narain Sinha, retired Chief Justice of the Patna High Court, to hold a formal inquiry into the causes of and circumstances attending the accident;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 24 of the said Act, the Central Government hereby appoints the following persons as assessors in holding the inquiry, namely:—

(1) Shri C. Karunakaran, retired Director General of Geological Survey of India, Flat No. 2, Central Government Quarters, Belvedere, Alipore, Calcutta-27.

(2) Shri G. S. Marwaha, Director, Indian School of Mines, Dhanbad

(3) Shri Damodar Pandey, Member of Parliament, Secretary, Colliery Mazdoor Sangh P.O. Bhurkunda Colliery, District Hazaribagh (Bihar).

[No. N 21015/9/75-M1]

D. BANDYOPADHYAYA Jt Secy.

श्रम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 1976

का०आ० 21 (अ).—27 दिसम्बर, 1975 को चसनाला खदान (बिहार राज्य के धनबाद जिले) में एक दुर्घटना हुई जिसमें अनेक व्यक्तियों के जीवन की क्षति हुई;

और उन कारणों और परिस्थितियों की औपचारिक जांच करने के लिए, जिनके कारण वह दुर्घटना हुई, केन्द्रीय सरकार ने खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) की धारा 24 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पटना उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधिपति श्री उज्जल नारायण सिन्हा को, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एन, 11015/9/75—एम० आई० तारीख 31 दिसम्बर, 1975 द्वारा नियुक्त किया ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, निम्नलिखित व्यक्तियों को उक्त जांच में असैसर के रूप में नियुक्त करती है, अर्थात् :—

(1) श्री सी० करूणाकरण, सेवानिवृत्त महानिदेशक, ज्युआलाजिकल सर्वे आफ इण्डिया, फ्लैट, नं० 2, सैन्ट्रल गवर्नमेंट क्वार्टर्स, बैलवेदर, अलीपुर, कलकत्ता—27 ।

(2) श्री जी० एस० मरवा,
निदेशक, इण्डियन स्कूल आफ् माइन्स,
धनबाद ।

(3) श्री दामोदर पांडे,
सदस्य, लोक सभा, सचिव, खदान मजदूर संघ,
डाकखाना भुरकुंडा खदान, जिला हजारीबाग (बिहार) ।

[सं० एन० 11015/9/75—एम० आई०]

डी० बंद्योपाध्याय, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976